



UNIVERSITY OF RAJASTHAN
JAIPUR

क्रमांक :- ले.वि./मेडिकल/2024/

दिनांक

विज्ञप्ति

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर अपने कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये जयपुर में स्थित सभी चिकित्सकों/विशेषज्ञों/दन्त चिकित्सकों/ होमियोपैथ/ आयुर्वेदिक चिकित्सकों/यूनानी/प्राकृतिक चिकित्सकों/नर्सिंग होम/अस्पताल/लैब आदि से निर्धारित आवेदन-पत्र पर उनके यहां उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। निर्धारित आवेदन-पत्र लेखा एवं वित्त अनुभाग-तृतीय से रु. 2000/- के "कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर" के नाम देय डिमान्ड ड्राफ्ट से प्राप्त किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि 15.06.2024 है। सम्बद्धता हेतु आवेदन करने वाले चिकित्सा संस्थानों को निम्नानुसार सम्बद्धता शुल्क जमा कराना होगा।

नियम एवम् शर्त :-

A. 100 से अधिक शय्याओं तक के अस्पताल (Multi-Speciality)	रु. 35,000/- प्रति वर्ष
B. 100 शय्याओं तक के अस्पताल (Multi-Speciality)	रु. 25,000/- प्रति वर्ष
C. 50 शय्याओं तक के अस्पताल (Multi-Speciality)	रु. 15,000/- प्रति वर्ष
D. एकल विशेषज्ञ अस्पताल/दन्त चिकित्सक	रु. 12,000/- प्रति वर्ष
E. प्रयोगशाला (Laboratories)	रु. 15,000/- प्रति वर्ष
F. मातृ एवं शिशु रोग अस्पताल	रु. 7,000/- प्रति वर्ष
G. अधिकृत चिकित्सक एलोपैथिक, होम्योपैथ/आयुर्वेद, युनानी/प्राकृतिक	रु. 3,000/- प्रति वर्ष

- वर्ग A – D तक के अस्पताल द्वारा विश्वविद्यालय कर्मचारियों को परिचय-पत्र दिखाने पर कुल बिल का 5 प्रतिशत छूट प्रदान की जावेगी।
- वर्ग-E प्रयोगशाला लेब जाँच के कुल बिल का 10 प्रतिशत छूट प्रदान करेंगे।
- तीन वर्षों का पंजीकरण शुल्क एक साथ जमा कराने पर आवेदक को उपरोक्त शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

— sel —
उप कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांक :- ले.वि./मेडिकल/2024/ 201

दिनांक 21-5-24

1. प्रतिलिपि निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इसे विश्वविद्यालय की अधिकृत वेब-साइट पर अप-लोड करावे।

सहायक कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)